सं. ओ.वि./रोह/113-87/42494.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मार्किट कमेटी, बहादुरगढ़, जिला रोहतक के श्रमिक श्री महाबीर सिंह, पुत्र श्री धर्म सिंह गांव डा० मातण्ड, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री महाबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/212-87/42501.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० के० जी० खोसला कम्प्रेशर लि०, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राय सिंह, पुत्र श्री तेजा राम, गांव सराय ख्वाजा नजदीक गोयल भवन, डा० अमर नगर, जिला फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, अथवा विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राय सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० /एफ०डी०/216-87/42508.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० प्रकाश रोड लाईन्स प्रा० लि०, 18/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री पारस नाथ राय, मार्फत भारतीय मजदूर संघ, शिवकर्ता भवन नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस मेंइस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : —

क्या श्री पारस नाथ राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

स० ओ० वि०/एफ०डी०/143-87/42522.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० दसपाल इलेक्ट्रो पलेटिंग वर्कस 76, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रमेश कुमार पाठक मार्फत फरीदाबाद इन्जी० मजदूर यूनियन जी-16, इन्दरा नगर, सैक्टर 7, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रमेश कुमार पाठक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 29 अक्तूबर, 1987

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/195-87/42666.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक, दी हरियाणा स्टेट फैडरेशन आफ कन्जूमरज कोप्रेटिव होलसेल स्टोरज लि०, एस. सी. ओ. 1014-15, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़, (2) जिला प्रबन्धक, दी हरियाणा स्टेट फैडरेशन आफ कन्जूमरज कोप्रेटिव होलसेल स्टोरज लि०, कन्फेड, एरिया आफिस, मकान न० 371, मोहल्ला डकाटन, निकट डिस्ट्रीकट, कोर्ट नारनोल, के श्रमिक श्री शेर सिंह, पुत्र श्री सरदारा सिंह मार्फत श्री एस. के. गोस्वामी, 647/7, जवाहर नगर, न्यु रेलवे रोड, गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री शेर सिंह, लिपिक की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ० डी०/129-87/42674.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० परफैक्ट मिटिक्स (इण्डिया) प्रा० लि०, 13/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, पुत्र हर्श मण्ड़ी शर्मा मार्फत सीटू, 2/7, गोपी कालोनी, पुराना फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री राजेन्द्र प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/हिसार/173-87/42585.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी मिर्चपूर सहकारी ऋण सेवा समिति लि०, मिर्चपूर, तह० हांसी, जिला हिसार के श्रमिक श्री राजबीर सिंह, पुत्र श्री दरिया सिंह, मार्फत मजदूर एकता यूनियन, नागोरी गेट, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औदयोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:--

क्या श्री राजवीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 2 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/कु६/61-87/42990.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी कुरुक्षेत्र सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, कुरुक्षेत्र, के श्रमिक श्री वासु देव, पुत्र श्री दौलत राम, गांव व डा० कलवां, तहसील नरवाना, जिला जीन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:--

क्या श्री वासुदेव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

श्रम विभाग

शुद्धि-पत्र

दिनांक 16 नवम्बर, 1987

स. श्रो.वी/एफ.डी./45499.—हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक स.श्रो.वि.एफ.डी./57-85/34961, दिनांक 28 अगस्त, 1985 जो कि हरियाणा राज्य पत्रिका दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के पृष्ठ 2193 पर छपा है के इशु में अंक "700— 1200" के स्थान पर अंक "700—1250" पढ़ा जाये ।

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।